कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लाक–03, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, (छ.ग.)
e-mail:highereducation.cg.gmail.com, website:highereducation.cg.gov.in

क्र. ....13..... / आ.उ.शि / 2020 रायपुर, दिनांक 28/01/2020

प्रति,

कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय :– दिव्यांगजनों के शैक्षणिक परीक्षाओं के संबंध में निर्देश।

संदर्भ :– 1. इस कार्यालय का पत्र कमांक 153 / आउशि / 2019 दिनांक 16.12.2019.

2. आर.पी. डब्ल्यू. डी. एक्ट 2016 एवं छत्तीसगढ़ निःशक्त व्यक्ति अधिकार नियम 2018।

–0–

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से / भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमांक एफ 34–02 / 2015DD-III.दिनांक 29.8.2018 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली का पत्र कमांक 6–2 / 2013(एससीटी) दिनांक 14.1.2019 की प्रति भेजते हुए बैंच मार्क दिव्यांगता रखने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा हेतु विशेष सुविधा प्रदान करने तथा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस संबंध में आपके विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में शैक्षणिक परीक्षा देने वाले समस्त दिव्यांगजनों के लिये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. दिव्यांगजन जो 21 बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अन्तर्गत (40 प्रतिशत से अधिक) अंधत्व (Blindness), दृष्टि, श्रवण, वाणी, गति तथा मानसिक रूप से पीड़ित (Locomotors Disability), दिमागी अक्षमता (Cerebral Palsy) की श्रेणी में आते है को विश्वविद्यालयीन शैक्षणिक परीक्षाओं में विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटर का उपयोग कर परीक्षा देने का प्रावधान है। इस हेतु उपलब्ध साफ्टवेयर को शैक्षणिक संस्थाओं के कम्प्यूटर में उपलब्ध करावें तथा वे सभी दिव्यांगजन जो कम्प्यूटर का उपयोग करने में सक्षम हों उन्हें यह सुविधा प्रदान की जावे।
2. समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों हेतु Scribe Panel (सह–लेखक का समूह) बनावे जिससे कि दिव्यांगजनों को सह–लेखक की व्यवस्था उपलब्ध कराने में सुविधा हो सके।

3. दिव्यांगजनों को जो सह–लेखक की सहायता नहीं लेते हैं एवं यदि अतिरिक्त समय की मांग करते हैं तो उन्हें प्रत्येक घंटे में 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाकर 3 घंटे के प्रश्नपत्र में अधिकतम 1 घंटा अतिरिक्त समय दिया जावे।
4. समस्त दिव्यांगजनों को शैक्षणिक परीक्षाओं में भूतल पर स्थित कक्षों में ही परीक्षा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

आप अपने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में इसका कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

28/1

(श्रीमती शारदा वर्मा)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)

पृ. कमांक/14/आउशि/2019

नवा रायपुर, दिनांक –28/01/2020

प्रतिलिपि:

1. सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
2. कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
3. अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
4. अपर संचालक, क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर एवं जगदलपुर

–की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

28/1

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)